न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार (आर.जे.एस.)
जिला न्यायाधीश संवर्ग

सेशन प्रकरण संख्या :– 52/2018
सी.आई.एस. नं. :– 123/2018
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या :– 140/2018, आरक्षी केन्द्र समदड़ी
CNR : RJBA010014002018

राजस्थान राज्य ।

विरुद्ध

भैराराम पुत्र वागाराम, उम्र 42 वर्ष, निवासी समदड़ी, पुलिस थाना समदड़ी, जिला बालोतरा ।

–––– अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 498(A), 306 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित :–
1. श्री दिलीपसिंह भाटी, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से ।
2. श्री नेमाराम चौधरी, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।

:: निर्णय ::

दिनांक : 26.05.2026

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी अमराराम ने एक लिखित रिपोर्ट इस मजमून की पेश की कि उसकी बहन गटु की शादी करीब 20 वर्ष पूर्व भैराराम पुत्र वागाराम निवासी समदड़ी के साथ हुई थी । शादी के दो–चार वर्ष बाद से ही उसके ससुराल वाले सास, ससुर, देवर, जेठ व सभी मिलकर दहेज कम लाने को लेकर अक्सर मारपीट करते व ताना मारते रहते थे इस बाबत् तीन–चार बार सामाजिक तौर पर समझाईश करवाई थी फिर भी वे नहीं माने एवं पिछले दो–तीन माह पूर्व गटु के साथ भैराराम, वागाराम, नेमाराम व गोपाराम द्वारा मारपीट करने पर गटु सिवाना आ गई थी । फिर सामाजिक पंचायती द्वारा समझाईश होने पर सिवाना गटु को लेने भैराराम, वागाराम,

नेमाराम व गोपाराम यह आश्वासन देकर आए कि भविष्य में गटु के साथ दुबारा मारपीट नहीं होगी व मानसिक रुप से परेशान नहीं रहेगी । तब उसके घर वालों ने गटु को ससुराल समदड़ी भेजा । सुबह जल्दी 6–7 बजे गटु के साथ भैराराम, वागाराम, नेमाराम व गोपाराम द्वारा जान से मारने का प्रयास किया व गला दबा कर मारने की धमकी दी कि घर में रखी दवाई खा लेना नहीं, तो उसे मारे बिना नहीं छोड़ेंगे । तब गटु ने वो दवाई खाई तो तबीयत खराब होने पर समदड़ी हॉस्पिटल लेकर गए । वहाॅ से जोधपुर रेफर किया । जोधपुर मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में दौराने ईलाज मौत हो गई । उसकी बहन गटु को जान से मारने की नीयत से प्रीप्लॉन तरीके से जहरीली दवाई जबरदस्ती खिलाकर मारा है एवं गटु के साथ मारपीट करने व दवाई खिलाने की धमकी देते वक्त् उसका भाणेज पूर्ण कुमार व भाणजी गंगा कुमारी पास में थे, जिन्होंने सारी घटना बताई....... इत्यादि ।

2. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना समदड़ी में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 140/2018, अपराध अंतर्गत धारा 498(A) व 306 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर, अनुसंधान उपरांत अभियुक्त भैराराम के विरुद्ध धारा 498(A) व 306 भारतीय दण्ड संहिता में अपराध प्रमाणित मानकर आरोप–पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवाना में दिनांक 10.12.2018 को पेश किया गया । मामला अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवाना ने इस न्यायालय को कमिट किया जो इस न्यायालय में दिनांक 24.12.2018 को प्राप्त होने पर दर्ज किया गया ।

3. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 498(A) व 306 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने अपराध से इन्कार करते हुए अन्वीक्षा चाही ।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित करवाया गयाः–

गवाह संख्या	नाम गवाह	गवाह द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज
पी.डब्ल्यू. 01	हरकूदेवी	–
पी.डब्ल्यू. 02	रमेश	प्रदर्श पी 01 ता 03
पी.डब्ल्यू. 03	वगताराम	प्रदर्श पी 01
पी.डब्ल्यू. 04	वेनाराम	प्रदर्श पी 04
पी.डब्ल्यू. 05	हस्तीमल	–
पी.डब्ल्यू. 06	अमराराम	प्रदर्श पी 01 ता 05
पी.डब्ल्यू. 07	गंगा	प्रदर्श पी 07

पी.डब्ल्यू. 08	बुधाराम	प्रदर्श पी 08
पी.डब्ल्यू. 09	लक्ष्मण	प्रदर्श पी 08
पी.डब्ल्यू. 10	केवलराम	–
पी.डब्ल्यू. 11	पूर्ण	–
पी.डब्ल्यू. 12	जुगराज	प्रदर्श पी 01 ता 03
पी.डब्ल्यू. 13	गलाराम	प्रदर्श पी 01
पी.डब्ल्यू. 14	लीला	–
पी.डब्ल्यू. 15	जेठाराम	प्रदर्श पी 01
पी.डब्ल्यू. 16	बाबुलाल	प्रदर्श पी 10 ता 15
पी.डब्ल्यू. 17	डॉ. इमरान शेख	प्रदर्श पी 16 व 17
पी.डब्ल्यू. 18	धोलाराम	प्रदर्श पी 05, 12, 14 व 18 ता 20
पी.डब्ल्यू. 19	बनवारीलाल	प्रदर्श पी 21 व 21 ए

5. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गयेः–

प्रदर्श पी 01	फर्द पंचनामा लाश
प्रदर्श पी 02	फर्द सूरतहाल लाश
प्रदर्श पी 03	फर्द सुपुर्दगीनामा लाश
प्रदर्श पी 04	फर्द नक्शा मौका
प्रदर्श पी 05	पुलिस रिपोर्ट
प्रदर्श पी 06	मृतका को तंग करने बाबत् डिप्टी साहब को दी गई रिपोर्ट
प्रदर्श पी 07	पुलिस बयान गंगा
प्रदर्श पी 08	पुलिस बयान बुधाराम
प्रदर्श पी 09	पुलिस बयान लक्ष्मण
प्रदर्श पी 10	डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज जोधपुर के नाम अग्रेषण पत्र
प्रदर्श पी 11	एसपी ऑफिस बाडमेर का अग्रेषण पत्र एफएसएल जोधपुर के नाम
प्रदर्श पी 12	एस.एन. मेडिकल कॉलेज का रोड सर्टिफिकेट
प्रदर्श पी 13	प्राप्ति रसीद
प्रदर्श पी 14	एफएसएल का रोड सर्टिफिकेट
प्रदर्श पी 15	प्राप्ति रसीद एफएसएल जोधपुर
प्रदर्श पी 16	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
प्रदर्श पी 17	शव का डॉक्टरी परीक्षण
प्रदर्श पी 18	चाक एफआईआर
प्रदर्श पी 19 व 20	एफएसएल रिपोर्ट

प्रदर्श पी 21 व 21 ए	असल मालखाना रजिस्टर व उसकी प्रमाणित प्रति

6. अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत किया गया, जिसमें अभियुक्त ने गवाहों से उसकी अनबन होने के कारण तथा परिवादी के सिखावे में आकर झूँठे बयान देना बताया तथा अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए कोई अपराध नहीं करना, स्वयं का निर्दोष होना व अदावदी से झूँठा मुकद्दमा करना बताया । अभियोजन साक्ष्य के दौरान अभियुक्त की ओर से निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गयेः–

प्रदर्श डी 01	पुलिस बयान श्रीमती हरकूदेवी
प्रदर्श डी 02	पुलिस बयान हस्तीमल

7. बहस उभय पक्षकारान् सुनी गई ।

8. विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहों के कथनों से मृतका गट्टु उर्फ लक्ष्मी का विवाह अभियुक्त भैराराम के साथ होने का तथ्य साबित है तथा यह तथ्य भी साबित है कि गट्टु की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में हुई थी । मृतका के विसराज की रिपोर्ट प्रदर्श पी 19 से यह साबित है कि गट्टु उर्फ लक्ष्मी की मृत्यु Organophosphorous insecticide के सेवन से हुई थी जो मृत्यु सामान्य नहीं थी । अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहों में मृतका की माता पीडब्ल्यू 01 हरकूदेवी, पीडब्ल्यू 03 वगताराम, पीडब्ल्यू 05 हस्तीमल व पीडब्ल्यू 06 अमराराम ने मृतका को दहेज की मांग को लेकर तंग, परेशान एवं मारपीट करना कथन किया है एवं मृतका को दहेज के लिए तंग व परेशान किए जाने से उसके द्वारा आत्महत्या करना साबित है । अभियुक्त के विरुद्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से आरोपित अपराध संदेह से परे साबित होना बताते हुए अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध करने का निवेदन किया ।

9. अभियोजन की ओर से दिए गए तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया कि गवाहों के कथनों से यह तथ्य निर्विवादित है कि मृतका गट्टु उर्फ लक्ष्मी का विवाह घटना से करीब 20 वर्ष पूर्व अभियुक्त के साथ हुआ था । परिवादी पीडब्ल्यू 6 अमराराम द्वारा घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 प्रस्तुत की है जिसमें मृतका को दहेज की मांग को लेकर या अन्य किसी बात को लेकर कब–कब परेशान किया गया एवं क्या मांग की गई इस संबंध में कोई विनिर्दिष्ट कथन नहीं किए हैं । गवाहों ने न्यायालय में हुए बयानों

में भी मृतका से दहेज की मांग कब–कब की गई एवं उसे कब–कब परेशान किया गया इस संबंध में कोई विशिष्ट कथन नहीं किए हैं । मृतका को मृत्यु से पूर्व अभियुक्त द्वारा दहेज की मांग को लेकर या अन्य किसी कारण को लेकर तंग व परेशान किया हो, इस संबंध में पूर्व में कोई कार्यवाही की हो या कोई रिपोर्ट पेश की हो ऐसा भी कोई तथ्य साबित नहीं है ।

10. यह भी तर्क दिया कि घटना के समय अभियुक्त घर पर नहीं था जो तथ्य मृतका की पुत्री पीडब्ल्यू 07 गंगा के कथनों से साबित है तथा पीडब्ल्यू 07 गंगा मृतका की पुत्री व पीडब्ल्यू 11 पूर्ण मृतका के पुत्र ने अभियुक्त द्वारा उसकी माता को तंग व परेशान किए जाने बाबत भी कोई कथन नहीं किए हैं । अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहों में पीडब्ल्यू 08 बुधाराम, पीडब्ल्यू 09 लक्ष्मण, पीडब्ल्यू 12 जुगराज व पीडब्ल्यू 13 गलाराम पक्षद्रोही हुए हैं जिन्होंने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है ।

11. यह भी तर्क दिया कि मृतका को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया हो एवं उस दुष्प्रेरणा के परिणामस्वरूप मृतका द्वारा आत्महत्या किया जाना साबित नहीं है । अभियोजन की ओर से अनुसंधान अधिकारी को भी परीक्षित नहीं करवाया है जो अभियोजन कहानी के लिए प्रतिकूल है । अंत में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं होना बताते हुए अभियुक्त को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त करने का निवेदन किया । अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किएः–

01. AIR 2019 Supreme Court 478 Rajesh Vs The State of Haryana on 18 January, 2019
02. (2010) 2 सीआरआईएलआर 1303 राजस्थान उच्च न्यायालय डिवीजन बेंच श्रीमती मुमताज बनाम राजस्थान राज्य, निर्णय की तिथि 01.09.2010
03. (1989) 1 RLW 57 Bhopalsingh and others Vs State of Rajasthan, Decided on 20.01.1989

12. उभय पक्षकारान् की ओर से दिए गए तर्क वितर्कों को सुना एवं पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया जिस पर मेरा निष्कर्ष निम्न प्रकार हैः–

13. इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न अवधार्य प्रश्न हैः–

1. **"आया अभियुक्त ने दिनांक 09.09.2018 से करीब 20 वर्ष पूर्व परिवादी अमराराम की बहिन गटु की शादी अभियुक्त के साथ होने के बाद से ही लगातार मृत्यु से पूर्व तक ग्राम समदडी में स्थित अभियुक्त के रहवासी मकान में रहते हुए, अभियुक्त ने मृतका के पति रहते हुए दहेज की अवैध मांग के लिए उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया "?**
2. **"आया अभियुक्त द्वारा दिनांक 09.09.2018 को सुबह 06–07 बजे गांव समदड़ी में अपनी पत्नि मृतका गटु को शादी के बाद से लगातार दहेज कम लाने को लेकर मारपीट करता, ताने मारता और उक्त दिन, समय व स्थान पर मृतका गटु को जान से मारने का प्रयास किया व गला दबाकर मारने की धमकी दी और घर में रखी दवाई खा लेना नहीं तो तुझे मारे बिना नहीं छोड़ेगे और उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करके मृतका गटु को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया, जिसके परिणास्वरुप मृतका गटु ने दुखी होकर जहरीली दवाई पीकर आत्महत्या की" ?**
3. **"यदि उपरोक्त अवधारणीय प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक पाया जाता है, तो उचित दण्ड क्या होगा" ?**

14. अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध साबित करवाए जाने के क्रम में अभियोजन की ओर से कुल 19 गवाहों को परीक्षित करवाया गया है । परीक्षित करवाए गए गवाहों में पीडब्ल्यू 06 अमराराम द्वारा घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 प्रस्तुत की गई है जिसमें उसकी बहन गटु की शादी 20 वर्ष पूर्व अभियुक्त के साथ होना एवं शादी के 02–04 वर्ष के बाद से ही ससुराल वालों, सास, ससुर, देवर व जेठ द्वारा मिलकर दहेज कम लाने को लेकर मारपीट करना, ताने देना एवं इस बात को लेकर 03–04 बार सामाजिक समझाईश करवाना लेकिन नहीं मानने पर 02–03 माह पूर्व भैराराम, वागाराम, नेमाराम व गोपाराम द्वारा मारपीट करने पर गटु का सिवाना आना कथन किया है । यह भी कथन किया है कि फिर सामाजिक पंचायती द्वारा समझाईश करने पर गटु को लेने भैराराम, वागाराम, नेमाराम व गोपाराम आए और भविष्य में मारपीट व मानसिक रूप से परेशान नहीं करने का आश्वासन देने पर उसे ससुराल भेजा । दिनांक 10.09.2018 को सुबह 06.00–07.00 बजे गटु के साथ भैराराम, वागाराम, नेमाराम व गोपाराम द्वारा जान से मारने का प्रयास कर गला दबाकर मारने की धमकी दी और कहा कि घर में रखी दवाई खा लेना नहीं तो उसे मारे बिना नहीं छोड़ेंगे तब गटु ने दवाई खाई तो उसकी तबीयत खराब होने पर समदड़ी हॉस्पीटल लेकर गए जहाँ से जोधपुर मथुरादास माथुर हॉस्पीटल

ले गए जहाँ दौराने इलाज मृत्यु हुई । उसकी बहन गटु को जान से मारने की नीयत से प्रि–प्लान तरीके से जहरीली दवाई खिलाकर मारा है । गटु के साथ मारपीट करने व दवाई खिलाने की धमकी देते वक्त उसका भाणेज पूर्ण कुमार व भाणेजी गंगा कुमार पास में थे जिन्होंने उसे सारी घटना बताई ।

15. पीडब्ल्यू 06 अमराराम ने न्यायालय में हुए बयानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित कथनों अनुसार साक्ष्य दी है कि उसकी बहन गटु उर्फ लक्ष्मी की शादी 27 साल पहले भैराराम के साथ हुई थी । गटु की शादी के 04–05 साल तक ससुराल में ठीक रहा, बाद में उसके पति भैराराम, ससुर वागाराम, देवर नेमाराम, गोपाराम व उसकी सासु लाछीदेवी दहेज के लिए मारपीट करते थे । गटु के साथ ससुराल में जब परेशानी हुई तो उन्हें बताया तब समझाईश की थी । समझाईश करने वालों में हंजाराम, वगताराम व फौजाराम सभी ने गटु के ससुराल सालों को बुलाया था व समझाईश की थी कि गटु को परेशान मत करो, तब गटु के ससुराल वालों ने कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे, तब गटु को उसके ससुराल समदड़ी भेजा था । ससुराल भेजने के 10–15 दिन बाद गटु के साथ उसके ससुराल वाले दहेज को लेकर तंग व परेशान करने लगे । 07 साल पहले उसकी माता का फोन आया और कहा कि बहन गंगा का फोन आ रहा है और कहा कि उसकी मम्मी को कुछ खिला पिला दिया है जिससे गटु की तबीयत बिगड़ गई तब उसने गंगा को कहा कि उसको अस्पताल लेकर जाओ । फिर उसने अपने मामा वगताराम को फोन किया कि गटु के साथ मारपीट कर उसको कुछ खिला पिला दिया है जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई जिस पर वह, वगताराम, केवलराम सभी समदड़ी गटु के घर गए, तब उसके ससुराल वालों ने कहा कि उसे समदड़ी अस्पताल लेकर गए हैं । समदड़ी अस्पताल पहुँचे तब कहा कि जोधपुर अस्पताल लेकर गए हैं । वह, जेठाराम, वगताराम, उसके पिता हस्तीमलजी व जीजाजी केवलरामजी सभी मथुरादास माथुर अस्पताल गए तब देखा कि गटु के मुंह से झाग आए हुए थे, शरीर नीला पड़ा हुआ था और उसकी मौत हो चुकी थी । दिनांक 09.09.2018 को उसकी बहन गटु उर्फ लक्ष्मी की मौत हो गई । गटु उर्फ लक्ष्मी की लाश को जोधपुर अस्पातल में देखा था । फर्द सूरतहाल लाश प्रदर्श पी 02 पर सी से डी, फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श पी 01 पर ई से एफ तथा फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 03 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । पोस्टमार्टम करवाकर गटु की लाश रूबरू मौतबिरान के उसे सुपुर्द की थी । गटु के साथ हुई घटना की रिपोर्ट दी थी जो प्रदर्श पी 05 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । गटु को तंग व परेशान करने की डिप्टी साहब को रिपोर्ट दी थी जो प्रदर्श पी 06 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है ।

गटु के साथ जिस जगह उसके ससुराल वालों ने घटना कारित की थी उस जगह का पुलिस ने मौका देखकर लिखपढ़ी कर कागज बनाए थे । नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श पी 04 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है ।

जिरह में इस कथन को सही बताया है कि उसके सामने गटु को किसी ने दहेज के लिए तंग व परेशान नहीं किया व मारपीट नहीं की । उसे पता नहीं कि गटु के ससुराल वालों से किस तारीख, माह या वर्ष में समझाईश की । इस कथन को सही बताया है कि हंजाराम, वगताराम व फौजाराम द्वारा गटु के ससुराल वालों को बुलाकर समझाईश करने कि गटु को परेशान मत करो, यह बात प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 में लिखी हुई नहीं है । इस कथन को भी सही बताया है कि गटु के ससुराल वालों ने उक्त लोगों के सामने यह कहा हो कि भविष्य में तंग व परेशान नहीं करेंगे, यह बात प्रदर्श पी 05 में लिखी हुई नहीं है । इस कथन को भी सही बताया है कि ससुराल भेजने के 10–15 दिन बाद उसके ससुराल वाले दहेज को लेकर तंग व परेशान करने लगे यह बात भी प्रदर्श पी 05 में लिखी हुई नहीं है । घटना के रोज वह तथा उसके पिताजी गटु के घर समदड़ी गए थे तब उसकी भान्जी गंगा ने कहा कि मम्मी को अस्पताल लेकर गए हैं । वे बहन के घर गए तब घर पर गंगा अकेली थी और कोई होगा तो उसने नहीं देखा । प्रदर्श पी 04 पर उसके हस्ताक्षर पुलिस थाना समदड़ी में करवाए थे । कितने कागजों पर करवाए उसे याद नहीं । घटना के रोज जब वह जोधपुर गया तब गटु को देखने का काम नहीं पड़ा क्योंकि वह गया तब तक गटु की मृत्यु हो गई थी । इस कथन को गलत बताया है कि उसकी बहन गटु घटना की रोज सुबह खेत में घास लेने गई हो । घर पर आने पर उल्टियाँ हो गई हो जिसे इलाज हेतु अस्पताल ले जाने पर बीमार होने से मृत्यु हो गई हो।

इस गवाह ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि उसके सामने गटु को किसी ने दहेज के लिए तंग व परेशान नहीं किया, न मारपीट की तथा इस कथन की जानकारी नहीं होना बताया है कि गटु के ससुराल वालों को किस तारीख, माह व वर्ष में समझाईश की । गवाह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में हंजाराम, वगताराम व फौजाराम द्वारा गटु के ससुराल वालों को समझाईश करने एवं ससुराल वालों द्वारा भविष्य में तंग व परेशान नहीं करने की बात कहना आदि प्रदर्श पी 05 रिपोर्ट में अंकित नहीं होना भी स्वीकार किया है । इस कथन को भी स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं है कि मृतका को ससुराल भेजने के 10–15 दिन बाद उसके ससुराल वाले तंग व परेशान करने लगे हो । इस गवाह ने रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 में शादी के 02–04 वर्ष बाद ससुराल वालों द्वारा कम दहेज लाने की बात को लेकर ताने देना एवं मारपीट करना

कथन किया है परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना की कोई तारीख, महीना या वर्ष का उल्लेख नहीं है एवं आत्महत्या दिनांक 09.09.2018 को की गई है जो शादी के करीब 20 वर्ष बाद की गई है ऐसी स्थिति में शादी के 02–04 वर्ष बाद से ही ससुराल वालों द्वारा तंग व परेशान किया जाने पर लगभग 16–18 वर्षों बाद उस बात को लेकर मृतका आत्महत्या करे यह तथ्य विश्वसनीय नहीं पाया जाता है ।

16. पीडब्ल्यू 01 हरकूदेवी ने कथन किया है कि उसकी पुत्री लक्ष्मी की शादी 25 साल पहले अभियुक्त भैराराम के साथ हुई थी । शादी के समय लक्ष्मी को सोने–चांदी के जेवरात दहेज में दिए थे । शादी के 06 साल बाद उसकी पुत्री को अभियुक्त भैराराम दहेज के लिए तंग व परेशान करता और कहता था कि उसके पीहर वालों ने कम दहेज दिया है। भैराराम दहेज के लिए उसकी पुत्री के साथ मारपीट करता था । शादी के 06 साल बाद उसकी बेटी ने अभियुक्त द्वारा तंग व परेशान करने की बात बताई थी । उसकी बेटी पीहर आई तब वापस ससुराल नहीं भेजा तथा उसने अपने भाई वगताराम को बुलाया जिस पर वगताराम ने अभियुक्त भैराराम को समझाया तब भैराराम ने लक्ष्मी को आईंदा तंग व परेशान नहीं करने का आश्वासन दिया लेकिन बाद में भैराराम उसकी बेटी को तंग व परेशान करने लगा । उसने दोहिती गंगा से अंतिम बार बात की थी जिस पर गंगा ने बताया कि "उसकी मम्मी ने कुछ खा लिया है, उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं" और वे उसे लेकर जोधपुर जा रहे हैं, आप आ जाओ । तब वह, उसका बेटा व जमाई जोधपुर गए । उसकी बेटी की मृत्यु कहाँ हुई उसे नहीं पता । फिर कहा कि मृत्यु उसके ससुराल में हुई थी बाद में उसे जोधपुर लेकर गए थे । उसकी पुत्री के साथ अभियुक्त मापीट करता था जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या की थी ।

जिरह में इस कथन को सही बताया है कि प्रदर्श डी 01 में भैराराम दहेज कम देने की बात पर उसकी बेटी से मारपीट करता हो यह बात लिखी हुई नहीं है । इस कथन को गलत बताया है कि उनके समाज में दहेज का रिवाज नहीं हो फिर कहा कि समाज में दहेज की बंदी है । लक्ष्मी को दहेज के लिए तंग करने की पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी और समाज को भी यह बात नहीं बताई थी । उसकी पुत्री लक्ष्मी 15–16 साल से उसके सास, ससुर व देवरों से अलग रहती है ।

इस गवाह ने उसके मुख्य परीक्षण में मृतका की शादी अभियुक्त के साथ 25 साल पहले होना एवं शादी के 06 साल बाद मृतका को पीहर से कम दहेज लाने की बात को लेकर अभियुक्त द्वारा तंग व परेशान करना और शादी के 06 साल बाद मृतका ने अभियुक्त द्वारा तंग व परेशान करने की बात बताना कथन किया है । इस गवाह ने शादी

के 06 साल बाद मृतका को अभियुक्त द्वारा दहेज के लिए तंग व परेशान करने की बात बताना कथन किया है जबकि पीडब्ल्यू 06 अमराराम ने उसके बयानों में शादी के 10–15 दिन बाद से ही दहेज के लिए मृतका को उसके ससुराल वालों द्वारा तंग व परेशान करना कथन किया है लेकिन प्रदर्श पी 05 में शादी के 10–15 दिन बाद से ही मृतका को तंग व पेरशान करने बाबत कोई कथन नहीं है ।

17. पीडब्ल्यू 03 वगताराम ने कथन किया है कि अमराराम उसका भाणेज है जिसकी बहन गटु उर्फ लक्ष्मी की शादी 20–25 साल पहले भैराराम के साथ हुई थी । लक्ष्मी के एक लड़की व दो लड़के हैं । दिनांक 08.09.2018 को वह घर पर काम कर रहा था तब उसकी बहन हरकू का सिवाना से फोन आया और बताया कि बच्ची ने जहर खा लिया है और उसकी तबीयत बिगड़ गई है जिस पर उसे अस्पताल लेकर गए हैं, आप भी आ जाओ, अस्पताल जाना है । तब वह, उसके जीजाजी हस्तीमलजी व अमराराम पहले समदड़ी अस्पताल गए तब पता चला कि लक्ष्मी को जोधपुर रेफर कर दिया है तब तीनों मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर गए । वह दिनांक 09.09.2018 को जोधपुर अस्पताल गया था तब लक्ष्मी की मृत्यु हो चुकी थी । लक्ष्मी की लाश अस्पताल में बेड पर लेटाई हुई थी जिसके पास उसकी सास व देवर मौजूद थे । लक्ष्मी को जहर दिया गया था । घटना से 02–03 महीने पहले उसे लक्ष्मी ने फोन करके बताया था कि उसका पति पैसे वगैरह् मांगकर तंग व परेशान करता है जिस पर वह उसके ससुराल गया और ससुराल वालों से समझाईश की । फर्द पंचनामा प्रदर्श पी 02 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । लक्ष्मी के शरीर पर चोटें के निशान थे जिससे यह लग रहा था कि उसे जबरदस्ती जहर दिया गया था ।

जिरह में यह कथन किया है कि मृतका की बच्ची ने उसे फोन करके बताया था कि लाल पोटली में से मम्मी ने जहर खा लिया है । पापा घर पर नहीं है । दादाजी खेत गए हुए हैं और घर पर कोई नहीं है ।

इस गवाह ने मुख्य परीक्षण में घटना से 02–03 महीने पहले लक्ष्मी द्वारा उसे फोन करके उसके पति द्वारा पैसे वगैरह् मांगकर तंग व परेशान करना जिस पर मृतका के ससुराल जाकर ससुराल वालों से समझाईश करना कथन किया है परन्तु इस आशय का कोई उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 में नहीं है न ही फरियादी पीडब्ल्यू 06 अमराराम, मृतका की माता पीडब्ल्यू 01 हरकूदेवी या पीडब्ल्यू 05 हस्तीमल मृतका के पिता ने कोई कथन ही किए हैं कि मृत्यु से 03 माह पूर्व मृतका को अभियुक्त द्वारा दहेज की मांग को लेकर तंग व परेशान किए जाने की बात उन्हें मृतका या

पीडब्ल्यू 03 वगताराम ने बताई हो । इस गवाह के कथनों से यह भी जाहिर होता है कि जिस समय मृतका ने जहर का सेवन किया उस समय अभियुक्त घर पर नहीं था ।

18. पीडब्ल्यू 05 हस्तीमल का कथन है कि वह परिवार सहित सिवाना में रहता है । उसकी पुत्री गटु का विवाह आज से करीब 27 साल पहले भैराराम के साथ हुआ था । शादी के वक्त उसने हैसियत अनुसार दहेज दिया था । गटु के दो लड़के व एक लड़की है। गटु को शादी के 10 साल बाद उसके ससुर बागाराम, उसका पुत्र गोपाराम, नेमाराम व गटु का पति भैराराम हमेशा दहेज के लिए तंग व परेशान करते थे कि उसके बाप ने कुछ दिया नहीं है । गटु को उसके ससुराल से पीहर लाते तो वापस उसको लेने आ जाते थे । 07 साल पहले गटु की पुत्री गंगा का फोन आया और कहा कि उसकी मम्मी के साथ मारपीट करते हैं और कहा कि यहाँ आओ, तब वह गटु के ससुराल समदड़ी गया तब उसे कहा कि गटु को अस्पताल लेकर गए हैं। हम समदड़ी अस्पताल पहुँचे तब कहा कि जोधपुर अस्पताल लेकर गए हैं । वह तथा उसका पुत्र उसी रोज जोधपुर मथुरादास माथुर अस्पताल गए तब देखा कि गटु के मुंह से झाग आए हुए थे, शरीर नीला व पीला पड़ा हुआ था और ससुराल वाले अस्पताल के बाहर खड़े थे । पता नहीं उसके ससुराल वालों ने गटु को क्या पिलाया गटु मरी हुई थी ।

जिरह में यह कथन किया है कि उसने कोई घटना नहीं देखी । गटु 15-20 साल से उसके ससुराल वालों से अलग रहती थी । शादी के बाद गटु उर्फ लक्ष्मी का उनके घर (पीहर) लगातार राजीखुशी आना-जाना होता था और वे भी लक्ष्मी के ससुराल आते-जाते थे । इस कथन को सही बताया है कि उनके समाज में दहेज बंदी है। इस कथन को सही बताया है कि उसके मुख्य परीक्षण में बताई बात कि गटु को शादी के 10 साल बाद ससुराल में उसका ससुर वागाराम, पुत्र गोपाराम, नेमाराम व गटु का पति भैराराम दहेज के लिए तंग व परेशान करते थे, प्रदर्श डी 02 में लिखी हुई नहीं है । इस कथन को सही बताया है कि गटु के पति व उसके ससुराल वालों ने कोई मांग नहीं की । इस कथन को सही बताया है कि गटु को तंग व परेशान करने बाबत उसने कोई रिपोर्ट थाने में नहीं की थी अजखुद कहा कि ससुराल वाले गटु को लेने व पहुँचाने आते थे ।

इस गवाह ने उसके मुख्य परीक्षण में शादी के 10 साल बाद गटु को उसके ससुराल में ससुर वागाराम, उसके पुत्र गोपाराम, नेमाराम व पति भैराराम द्वारा तंग व परेशान करना कथन किया है परन्तु उक्त कथन गवाह के पुलिस बयान प्रदर्श डी 02 में नहीं है जिसे गवाह ने स्वीकार किया है । इस गवाह ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि शादी के बाद गटु उर्फ लक्ष्मी का उनके घर लगातार राजीखुशी आना-जाना होता था

और वे भी लक्ष्मी के ससुराल आते–जाते थे । गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि गटु को तंग व परेशान करने बाबत उसने थाने में कोई रिपोर्ट नहीं दी थी । इस गवाह ने शादी के 10 साल बाद से मृतका को तंग व परेशान करने बाबत कथन किए हैं जबकि पीडब्ल्यू 01 हरकूदेवी ने शादी के 06 साल बाद से व पीडब्ल्यू 06 अमराराम ने शादी के बाद 10–15 दिन बाद से ही मृतका को तंग व पेरशान करने बाबत कथन किये हैं । पीडब्ल्यू 06 अमराराम ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में शादी के 02–04 साल बाद से तंग व परेशान करने बाबत कथन किए हैं । किसी भी गवाह ने मृतका को दहेज की मांग को लेकर कब–कब तंग व परेशान किया गया इस बाबत कोई स्पष्ट वर्ष या समय नहीं बताया है तथा सभी गवाहों ने अस्पष्ट आरोप लगाए हैं ।

19. पीडब्ल्यू 10 केवलराम ने कथन किया है कि उसकी साली लक्ष्मी 27 वर्ष पूर्व भैराराम को ब्याही थी । आज से 09 वर्ष पूर्व उसके ससुर हस्ताराम मिलने के लिए आए थे । इतने में 10–15 मिनट में उसे फोन किया कि हस्ताराम को वापस घर भेज दो । लक्ष्मी की तबीयत ठीक नहीं है और कहा कि तुम भी साथ में आना । वह तथा उसका ससुर, लक्ष्मी के घर समदड़ी अस्पताल पहुँचे तो पता चला कि लक्ष्मी को जोधपुर रेफर कर दिया है । वह, उसका ससुर, साला अमराराम व वगताराम सभी जोधपुर मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर पहुँचे । वे पहुँचे तब तक लक्ष्मी की मृत्यु हो चुकी थी । लक्ष्मी को 02 साल पहले उसका पति भैराराम मारपीट करता था । लक्ष्मी की मौत जहिर पीने से हुई थी या कैसे हुई थी उसे पता नहीं ।

जिरह में इस कथन को सही बताया है कि उसने कोई घटना नहीं देखी न ही उसके सामने लक्ष्मी के पति भैराराम ने लक्ष्मी के साथ कोई घटना कारित की । इस कथन को सही बताया है कि सुनी सुनाई बात कह रहा है । उसे यह पता नहीं कि घटना वाले दिन भैराराम घर पर नहीं हो व बालोतरा में काम के लिए गया हो ।

इस गवाह ने उसके मुख्य परीक्षण में लक्ष्मी को 02 साल पहले उसके पति भैराराम द्वारा मारपीट करना कथन किया है परन्तु अन्य किसी गवाह ने मृतका को मृत्यु से 02 साल पहले से तंग व परेशान किए जाने बाबत कोई कथन नहीं किए हैं ।

20. पीडब्ल्यू 07 गंगा ने कथन किया है कि वे तीन भाई–बहन हैं जो अपने माता–पिता के साथ समदड़ी में रहते हैं । वह, दिनांक 09.09.2018 को सुबह घर पर ही थी । उसका भाई पूरण खेत पर गया हुआ था व पिताजी बालोतरा रैली में गए हुए थे । वह घर की साफ–सफाई कर रही थी तभी अचानक उसकी माताजी गटु उर्फ लक्ष्मी को उलटी हुई तब उसने उसकी चाची को बुलाया और उसकी माताजी को समदड़ी अस्पताल लेकर

गए । उसने अपने दादा–दादी को फोन कर बुलाया और सदमड़ी अस्पताल से उसकी माताजी को जोधपुर रेफर कर दिया । जब जोधपुर अस्पताल लेकर गए, तब उसकी माताजी की मृत्यु हो गई । उसकी माताजी बीमार रहती थी व हार्ट की भी समस्या थी । घटना के रोज उसकी माताजी घास लेने खेत पर गई थी और घर पर आने पर उलटी होने लगी तब अस्पताल लेकर गए । उसके अलावा उसकी माताजी के साथ कोई घटना नहीं हुई न ही उसने देखी न सुनी ।

यह गवाह पक्षद्रोही हुई है जिसने लोक अभियोजन द्वारा की गई जिरह में पुलिस में बयान नहीं होना तथा पुलिस बयान प्रदर्श पी 07 का हिस्सा "घरेलू कामकाज............फोन नंबर 7023171431 है" पुलिस को नहीं देना बताया है । इस कथन को भी गलत बताया है कि उसके माता–पिता आपस में लड़ते हों जिस वजह से उसकी माताजी को भला–बुरा कहा हो तब अनाज में रखने की जहरीली गोली खा ली हो। इस कथन को गलत बताया है कि उसकी माताजी के साथ पिताजी भैराराम मारपीट करते हो जिससे परेशान होकर जहरीली गोली खाई हो ।

21. पीडब्ल्यू 11 पूर्ण ने कथन किया है कि लक्ष्मी उसकी माँ थी । आज से 06–07 वर्ष पूर्व वह, दादा–दादी के साथ समदड़ी वाले खेत पर था । घर पर उसकी मम्मी व भाई–बहन थे । उसकी मम्मी के क्या हुआ उसे पता नहीं । समाचार मिले कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है जिस पर उसके दादा घर पर आए और मम्मी को समदड़ी अस्पताल ले गए । समदड़ी से जोधपुर मथुरादास माथुर ले गए जहाँ इलाज के दौरान मृत्यु हो गई । उसकी मम्मी के साथ क्या हुआ उसकी जानकारी उसे नहीं है । उसकी मम्मी के साथ उसके पापा झगड़ा नहीं करते थे ।

जिरह में इस कथन को सही बताया है कि घटना वाले दिन उसके पापा बालोतरा गए हुए थे जो घटना से दो दिन पहले गए थे । उसके पापा शाम को घर नहीं आते थे । उसके पापा बालोतरा मजदूरी करने गए थे ।

22. पीडब्ल्यू 08 बुधाराम, पीडब्ल्यू 09 लक्ष्मण, पीडब्ल्यू 12 जुगराज व पीडब्ल्यू 13 गलाराम पक्षद्रोही हुए हैं, जिन्होंने घटना के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होना कथन करते हुए अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है ।

लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में पीडब्ल्यू 08 बुधाराम व पीडब्ल्यू 09 लक्ष्मण ने इस कथन को गलत बताया है कि लक्ष्मी को उसका पति भैराराम दहेज के लिए तंग व परेशान करता हो और उसे खाने में कुछ खिला दिया जिससे उसकी मौत हुई हो । इस कथन को भी गलत बताया है कि भैराराम और उसका परिवार लक्ष्मी

के साथ मापीट करता हो व भैराराम की माता ने उसे जहरीली गोली खिलाई हो। पीडब्ल्यू 12 जुगराज व पीडब्ल्यू 13 गलाराम से बचाव पक्ष द्वारा कोई जिरह नहीं की गई है।

23. पीडब्ल्यू 02 रमेश ने कथन किया है कि लगभग 04 साल पहले 10 तारीख को वह एमडीएम अस्पताल, जोधपुर गया था। उस रोज उसके, अमराराम, जगदीश, वगताराम व केवलराम के रूबरू लक्ष्मी की लाश का पुलिस थाना सदमड़ी में पंचनामा तैयार किया था। फर्द पंचनामा प्रदर्श पी 01 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसने उसकी बहन की लाश अस्पताल में देखी थी जिसकी फर्द सूरतहाल लाश प्रदर्श पी 02 पर ए से बी व पुलिस ने लक्ष्मी की लाश अमराराम को सुर्पुद की थी जिसकी फर्द सुपुर्दगीनामा लाश प्रदर्श पी 03 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

जिरह में कथन किया है कि लिखपढ़ी पटवारी साहब ने की थी। फर्दों में क्या लिखापढ़ी की उसे ध्यान नहीं। लिखापढ़ी जोधपुर अस्पताल के बाहर खुली जगह है वहाँ पर की थी तब वह पास में ही था। लिखापढ़ी की तब उसकी बहन की लाश आईसीयु में थी। इस कथन को सही बताया है कि आईसीयु में उन्हें जाने नहीं दिया। इस कथन को गलत बताया है कि उसके हस्ताक्षर समदड़ी थाने में करवाए हो।

24. पीडब्ल्यू 15 जेठाराम का कथन है कि करीब 08 साल पहले उसने जोधपुर मथुरादास माथुर अस्पताल में भान्जी मृतका लक्ष्मीदेवी उर्फ गटु की लाश देखी थी। लाश को देखने से लग रहा था कि उसके साथ मारपीट हुई व जहरीला पदार्थ पीने से मृत्यु हुई है। पुलिस ने उसके रूबरू पंचनामा बनाया था जो प्रदर्श पी 01 है जिस पर के से एल उसे हस्ताक्षर है। डिप्टी साहब को अमराराम ने लिखित रिपोर्ट दी थी जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। रिपोर्ट में लिखाया था कि लक्ष्मी के पति भैराराम व उसके ससुराल वाले उसको तंग, परेशान व मारपीट कर रहे हैं।

जिरह में इस कथन को सही बताया है कि वह विशेषज्ञ नहीं है इसलिए यह नहीं बता सकता है कि गटु की मृत्यु किस कारण से हुई थी। इस कथन को गलत बातया है कि उसने गटु की लाश को उलट-पुलट करके नहीं देखा हो। फर्द कब व किसने बनाई तारीख व स्थान उसे याद नहीं है। फदों पर हस्ताक्षर एमडीएम अस्पताल में करवाए थे।

25. पीडब्ल्यू 04 वेनाराम का कथन है कि आज से 09 साल पहले पुलिस ने गांव समदड़ी में गटु उर्फ लक्ष्मी के घर घटना का मौका देखा था। गटु उर्फ लक्ष्मी के साथ मारपीट की गई थी जिससे उसकी मृत्यु हुई थी इस बाबत पुलिस ने मौका देखा था।

उसके अलावा मौके पर 03–04 और लोग थे जिनमें से वह किसी को नहीं जानता । पुलिस ने मौके पर लिखापढ़ी कर उसके हस्ताक्षर करवाए थे । पुलिस ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द बनाई थी । घटनास्थल निरीक्षण की फर्द प्रदर्श पी 04 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है ।

जिरह में इस कथन को सही बताया है कि पुलिस ने मौका देखा उस समय वह पोल में बैठा था । उसने घटनास्थल पर कोई अलामात नहीं देखे । मृतका गटु उर्फ लक्ष्मी उसके काका की बेटी बहन थी । इस कथन को गलत बताया है कि मृतका उसकी रिश्तेदार होने से उसने प्रदर्श पी 04 पर हस्ताक्षर किए हों ।

26. पीडब्ल्यू 14 लीला का कथन है कि उसकी शादी वर्ष 2006 में गोपाराम, निवासी समदड़ी के साथ हुई थी । उसके पति के दो भाई, भैराराम उसके जेठ व नेमाराम देवर है । भैराराम की शादी उसकी शादी से 07–08 साल पूर्व लक्ष्मी के साथ हुई थी । शादी के बाद लक्ष्मी व भैराराम राजीखुशी रहते थे । उसने घर में कभी लक्ष्मी के साथ जेठ (भैराराम) द्वारा गाली–गलौज व मारपीट करते हुए नहीं देखा व न सुना । आज से 07–08 वर्ष पूर्व घटना के रोज वह सुबह 10.00–11.00 बजे लक्ष्मी के घर किसी काम से गई थी उस समय लक्ष्मी ने उसे चाय पिलाई । उस समय घर पर लक्ष्मी व उसकी पुत्री गंगा थी । उसके जेठ भैराराम उसके घर आने के बाद करीब 01.00 बजे पेट में दर्द होने पर वह जेठानी के घर गई व उसे लेकर समदड़ी अस्पताल गए । आज से 07–08 वर्ष पूर्व उसकी जेठानी के पेट में दर्द होने से उसे समदड़ी अस्पताल लेकर गए और वहाँ से जोधपुर मथुरादास माथुर अस्पताल लेकर गए । इलाज के दौरान लक्ष्मी की मौत हो गई ।

जिरह में यह कथन किया है कि वह घटना वाले रोज लक्ष्मी के घर गई थी तब लक्ष्मी खुश थी । उन्होंने आपस में बातें भी की थी और उसने चाय भी पिलाई । उसने उसके जेठ व जेठानी लक्ष्मी के बीच कभी किसी प्रकार की बोलचाल या विवाद होते ससुराल आने के बाद नहीं देखा । उसकी जेठानी व जेठ की आपस में खूब बनती थी ।

27. पीडब्ल्यू 19 बनवारीलाल का कथन है कि दिनांक 25.09.2018 को वह पुलिस थाना समदड़ी में हैड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था । उसके पास मालखाने का चार्ज था । उस रोज पुलिस थाना समदड़ी के प्रकरण संख्या 140/2018 में मेडिकल बोर्ड द्वारा मृतका श्रीमती लक्ष्मी के दौराने पोस्टमार्टम लिए गए विसराज पैकेट मार्क 1, 2, 3, 4 व F सीलचेपायुक्त हालत में मालखाने में जमा किए थे । दिनांक 03.10.2018 को उक्त पैकेट में से मार्क 1, 2, 3, 4 व F जरिए रोड़ संख्या 142 व 143 श्री भंवरसिंह

कांस्टेबल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला व एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में जमा करवाने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर के मार्फत मय अग्रेषण पत्र व कागजात के साथ रवाना किया था । कांस्टेबल भंवरसिंह ने सीलबंद पैकेट मार्क मार्क 1, 2, 3, 4 व F मय कागजात जमा करवाकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बाड़मेर में प्राप्ति रसीद की छाया प्रति सुपुर्द कर असल प्राप्ति रसीद मय कागजात उसे लाकर सुपुर्द किए जिसे उसने अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द कर दिए थे । मालखाना रजिस्टर के सीरियल नंबर 261 पर वर्ष 2018 से संबंधित मालखाना नंबर 159/2018 के ए से बी भाग में माल जमा करने की प्रविष्टि व सी से डी भाग में माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला में व एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में भेजने की प्रविष्टि है । असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 21 है जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 21ए है । माल जब तक उसके पास रहा सीलबंद व सुरक्षित हालत में था ।

जिरह में यह कथन किया है कि उसे सैम्पल दिनांक 25.09.2018 को कांस्टेबल चुतराराम ने लाकर दिए थे जो मालखाने में जमा किए थे । मृतका लक्ष्मी की मृत्यु दिनांक 09.09.2018 को हुई हो तो उसे पता नहीं । कांस्टेबल चुतराराम उक्त सैम्पल किस अस्पताल से लेकर आया था उसे पता नहीं है । इस कथन को सही बताया है कि प्रदर्श पी 21 पर चुतराराम के हस्ताक्षर नहीं है ।

28. पीडब्ल्यू 16 बाबूलाल का कथन है कि दिनांक 03.10.2018 को वह एसपी ऑफिस, बाड़मेर में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था । उस रोज पुलिस थाना समदड़ी से कांस्टेबल भंवरसिंह मुकद्दमा नंबर 140/2018 में जब्तशुदा कुल 05 सीलबंद पैकेट मय कागजात जिसमें 04 पैकेट एफएसएल जोधपुर के लिए और 01 पैकेट एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में जमा करवाने हेतु लेकर आया जिस पर उसके द्वारा कागजात व सैम्पल तैयार कर एफएसएल जोधपुर व एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर के नाम अलग–अलग अग्रेषण पत्र कांस्टेबल भंवरसिंह को एफएसएल जोधपुर व एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में जमा करवाने हेतु सैम्पल व कागजात सुपुर्द किए । कांस्टेबल भंवरसिंह ने एफएसएल जोधपुर व एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में सैम्पल जमा करवाकर प्राप्ति रसीद लाकर उसे दी जिस पर असल प्राप्ति रसीद की छाया प्रति कार्यालय रेकर्ड हेतु रखकर असल प्राप्ति रसीद व कागजात कांस्टेबल भंवरसिंह को सुपुर्द किए । एसपी ऑफिस बाड़मेर का अग्रेषण पत्र एफसएल जोधपुर के नाम प्रदर्श पी 11 व एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर के नाम का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 10 है जिन पर ए से बी तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर है । एसएन मेडिकल कॉलेज के रोड़ सर्टिफिकेट

प्रदर्श पी 12 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 13 है । एफएसएल के रोड़ सटिफिकेट प्रदर्श पी 14 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । प्राप्ति रसीद एफएसएल जोधपुर प्रदर्श पी 15 है । माल जब तक उसके पास रहा सीलबंद व सुरक्षित हालत में रहा और उसी हालत में उसने कांस्टेबल भंवरसिंह को सुपुर्द किया ।

जिरह में यह कथन किया है कि भंवरसिंह कांस्टेबल थाना समदड़ी से मालखाना लेकर उसके पास कितने बजे अया और कार्यालय समय में कब तक रहा, समय याद नहीं है, अजखुद कहा कि कार्यालय समय में आया था । वह नहीं बता सकता है कि उस दिन भंवरसिंह हस्तगत प्रकरण के अलावा और कितने मुकद्दमों के कुल कितने सैम्पल लाया । इस कथन को गलत बताया है कि सैम्पल खुले हों । प्रदर्श पी 10 व 11 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है । इस कथन को सही बताया है कि रोड़ सर्टिफिकेट प्रदर्श पी 12 व 14 पर भंवरसिंह के हस्ताक्षर नहीं है । इस कथन को गलत बताया है कि सैम्पल एसपी साहब के सामने पेश नहीं किए हों । इस कथन को गलत बताया है कि सैम्पल कटे, फटे व खुले हों इस बात को लेकर एतराज हुआ हो ।

29. पीडब्ल्यू 17 डॉ. इमरान शेख का कथन है कि दिनांक 10.09.2018 को वह मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर में मेडिकल ज्युरिस्ट के पद पर कार्यरत था । उस रोज अधीक्षक, मथुरादास माथुर चिकित्सालय के आदेश संख्या 837 की अनुपालना में उसने, डॉ. रमेशचन्द्र सीरवी तथा डॉ. पूजा पैथोलोजिस्ट के साथ संयोजक के रूप में मेडिकल बोर्ड से मृतका लक्ष्मीदेवी उर्फ गट्टु का पोस्टमार्टम किया था । पोस्टमार्टम तहरीर व चालान श्री दानाराम, हैड कांस्टेबल, पुलिस थाना समदड़ी द्वारा दिया गया जिस पर मृतका का पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट प्रदर्श पी 16 जारी की थी जिस पर ए से बी उसके, सी से डी व ई से एफ बोर्ड के सदस्य डॉक्टर रमेशचन्द्र सीरवी व डॉ. पूजा के हस्ताक्षर हैं जिनके हस्ताक्षर साथ काम करने से पहचानता है । जी से एच मेडिकल बोर्ड की राय है । पोस्टमार्टम के बाद मृत्यु का कारण स्पष्ट पता नहीं चलने से विसराज हिस्टोपैथोलोजी जाँच हेतु पुलिस को सुपुर्द किए थे । शव का डॉक्टरी परीक्षण प्रदर्श पी 17 है जिसके पृष्ठ पर ए से बी उसके, सी से डी व ई से एफ मेडिकल बोर्ड के सदस्य डॉ. रमेशचन्द्र सीरवी व डॉ. पूजा के हस्ताक्षर है व जी से एच मेडिकल बोर्ड की राय अंकित है।

जिरह में इस कथन को गलत बताया है कि मृतका के विसराज उसने नहीं लिए हों । उसने विसराज के बारे में सुरक्षित रखने बाबत कोई राय पुलिस को नहीं

दी थी । इस कथन को गलत बताया है कि विसराज सप्ताह भर 40–50 डिग्री तापमान में रहने से उसमें सड़न व दुर्गंध पैदा होती हो ।

30. पीडब्ल्यू 16 बाबूलाल व पीडब्ल्यू 19 बनवारीलाल के कथनों से प्रकरण से संबंधित सैम्पल पैकेट मार्क 1, 2, 3, 4 व F मालखाने में जमा करना एवं सैम्पलों को जाँच हेतु एफएसएल जोधपुर व एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में जमा करवाए जाने का तथ्य साबित होता है । इन गवाहों के कथनों की पुष्टि मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 21 ए, एसपी ऑफिस बाड़मेर के एफएसएल जोधपुर के नाम अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 11, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर के नाम अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 10, एसएन मेडिकल कॉलेज का रोड़ सर्टिफिकेट प्रदर्श पी 12, एफएसएल का रोड़ सर्टिफिकेट प्रदर्श पी 14 व प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 13 व 15 से होती है । उक्त गवाहों की जिरह में ऐसा कोई कथन नहीं आया है जो गवाहों के मुख्य परीक्षण में किए कथनों से प्रतिकूल हो अथवा प्रकरण से संबंधित सैम्पल एफएसएल में जमा करवाए जाने के तथ्य पर किसी तरह का कोई संदेह उत्पन्न होता हो । डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर की प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 13 में एक सीलबंद जार जिस पर F मार्क अंकित, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बाड़मेर से प्राप्त होने का तथा क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर की प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 15 में चार सीलबंद पैकेट भंवरसिंह कांस्टेबल द्वारा जमा करवाए जाने का उल्लेख है । रोड़ सर्टिफिकेट प्रदर्श पी 12 व प्रदर्श पी 14 में वाहक के रूप में भंवरसिंह कांस्टेबल का नाम उल्लेखित है जिससे भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि प्रकरण से संबंधित सैम्पल भंवरसिंह कांस्टेबल द्वारा एफएसएल व एसएन मेडिकेल कॉलेज जोधपुर में जमा करवाए । भंवरसिंह की मृत्यु होने से परीक्षित नहीं हो सका है, परन्तु भंवरसिंह के परीक्षित नहीं होने से प्रकरण से संबंधित सैम्पल जमा करवाए जाने के तथ्य पर कोई संदेह पैदा नहीं होता है।

31. पीडब्ल्यू 18 धोलाराम का कथन है कि दिनांक 10.09.2018 को वह पुलिस थाना समदड़ी में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था । उस रोज परिवादी अमराराम ने लिखित रिपोर्ट दीनाराम हैड कांस्टेबल के रूबरू एमडीएम अस्पताल जोधपुर में पेश की थी । बाद पीएम कार्यवाही, थाने पहुँचकर प्रकरण संख्या 140/2018 धारा 498(A) व 306 भारतीय दंड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान तत्कालीन वृत्ताधिकारी को सुपुर्द किया। रिपोर्ट मय फर्दात पेश किए । रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 है जिस पर ए से बी प्रार्थी अमराराम के हस्ताक्षर, सी से डी हैड कांस्टेबल दीनाराम के हस्ताक्षर व ई से एफ पुलिस पृष्ठांकन व जी से एच उसके हस्ताक्षर है । चाक एफआईआर प्रदर्श पी 18 है जिस पर ए से बी उसके

हस्ताक्षर है । मृतका लक्ष्मी उर्फ गटु के पोस्टमार्टम के दौरान लिए गए विसराज एफएसएल जाँच हेतु भेजे थे । रोड़ सर्टिफिकेट प्रदर्श पी 12 व 14 हैं जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 19 व 20 है ।

जिरह में इस कथन को सही बताया है कि प्रदर्श पी 05 एफआईआर घटना के दूसरे दिन पेश हुई थी जो उसके सामने पेश नहीं हुई थी । इस कथन को सही बताया है कि मृतका गटु को दहेज के लिए तंग व परेशान करने बाबत कोई प्रार्थना पत्र या रिपोर्ट उसके समक्ष पूर्व में मृतका के पीहर पक्ष द्वारा पेश नहीं की थी । इस कथन को सही बताया है कि मृतका ने भी उसके समक्ष कोई रिपोर्ट पेश नहीं की थी । मृतका की शादी घटना से 20–22 वर्ष पूर्व हुई थी । इस कथन को सही बताया है कि प्रदर्श पी 12 व 14 पर कांस्टेबल भंवरसिंह के हस्ताक्षर नहीं है अजखुद कहा कि एफएसएल रिसिव किया उनके हस्ताक्षर है । इस कथन को सही बताया है कि प्रदर्श पी 12 व 14 में उल्लेखित विसराज उसके समक्ष नहीं लिए थे । विसराज किसने लिए व किसने सील किए वह नाम नहीं बता सकता अजखुद कहा कि एमडीएम अस्पताल के डॉक्टर ने लिए थे । उसे आज याद नहीं है कि विसराज उसने किस Temprature पर व कहाँ रखे अजखुद कहा कि मालखाना में रखे थे ।

यह गवाह प्रकरण से संबंधित रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 फरियादी अमराराम द्वारा हैड कांस्टेबल दीनाराम को एमडीएम अस्पताल जोधपुर में पेश करना व दीनाराम द्वारा रिपोर्ट व फर्दें उसे पेश करना जिस पर प्रकरण दर्ज करना तथा प्रकरण से संबंधित विसराज एफएसएल जाँच हेतु भेजना कथन करता है । इस गवाह से की गई जिरह में ऐसा कोई कथन नहीं आया है जो गवाह द्वारा की गई कार्यवाही को संदेहप्रद बनाता हो । इस गवाह ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 से पूर्व मृतका को दहेज के लिए तंग व परेशान करने बाबत उसके समक्ष मृतका के पीहर पक्ष द्वारा या स्वयं मृतका द्वारा कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई थी ।

32. पीडब्ल्यू 07 गंगा जो कि मृतका की पुत्री है व पीडब्ल्यू 11 पूर्ण मृतका का पुत्र है ने मृतका को अभियुक्त द्वारा कभी तंग व परेशान किए जाने बाबत कोई कथन नहीं किए हैं।

33. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य निर्विवाद है कि मृतका का विवाह अभियुक्त के साथ करीब 20 वर्ष पूर्व हुआ था एवं मृतका की मृत्यु प्राकृतिक नहीं होकर आत्महत्या थी ।

34. प्रथम सूचना रिपोर्ट में फरियादी पीडब्ल्यू 06 अमराराम ने मृतका को शादी के 02–04 वर्ष पहले से ही ससुराल वालों द्वारा दहेज कम लाने की बात को लेकर मारपीट करना एवं ताने देना एवं इस संबंध में 03–04 बार सामाजिक तौर पर समझाईश भी होना बताया है । गवाह पीडब्ल्यू 06 अमराराम ने मुख्य परीक्षण में मृतका को ससुराल भेजने के 10–15 दिन बाद से ही ससुराल वालों द्वारा तंग व परेशान करना बताया है जबकि पीडब्ल्यू 01 हरकूदेवी ने शादी के 06 साल बाद मृतका को अभियुक्त द्वारा दहेज के लिए तंग व परेशान करना बताया है । पीडब्ल्यू 03 वगताराम ने घटना से 02–03 महीने पहले उसे मृतका द्वारा फोन करके अभियुक्त द्वारा पैसों की मांग कर तंग व परेशान करना तब उसके द्वारा मृतका के ससुराल जाकर समझाईश करना बताया है परन्तु इस संबंध में पीडब्ल्यू 01 हरकूदेवी या पीडब्ल्यू 06 अमराराम या पीडब्ल्यू 05 हस्तीमल ने कोई कथन नहीं किए हैं । पीडब्ल्यू 05 हस्तीमल जो कि मृतका का पिता है ने शादी के 10 साल बाद ससुराल वालों द्वारा मृतका को दहेज के लिए तंग व परेशान करना बताया है । इस प्रकार मृतका को दहेज के लिए कब–कब तंग व परेशान किया इस संबंध में किसी भी गवाह के कथनों में एकरूपता या सुस्पष्टता नहीं है । पीडब्ल्यू 05 हस्तीमल ने जिरह में शादी के बाद मृतका का उसके घर लगातार राजीखुशी आना एवं उनका लक्ष्मी के ससुराल आते–जाते रहना बताया है । मृतका को विवाह के बाद घटना घटित होने तक दहेज की मांग को लेकर तंग व परेशान किया गया हो इस आशय की पूर्व में कोई रिपोर्ट कहीं दर्ज करवाई हो या शिकायत की हो ऐसा कोई तथ्य साक्ष्य के अवलोकन से प्रकट नहीं होता है ।

35. पीडब्ल्यू 06 अमराराम ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में 03–04 बार सामाजिक तौर पर समझाईश करने की बात बताई है तथा उसके मुख्य परीक्षण में समझाईश करने वालों में हंजाराम, वगताराम व फौजाराम का होना बताया है परन्तु हंजाराम व फौजाराम से कोई अनुसंधान नहीं किया है । वगताराम ने घटना से 02–03 माह पूर्व मृतका द्वारा उसे फोन करके अभियुक्त द्वारा पैसे वगैरह् मांगकर तंग व परेशान करना बताया है जिस पर मृतका के ससुराल वालों को समझाईश करना भी बताया है परन्तु पीडब्ल्यू 06 अमराराम ने शादी के 04–05 साल बाद मृतका को तंग व परेशान करना उसे बताने पर समझाईश करने वालों में वगताराम का होना बताया है लेकिन घटना से 02–03 माह पूर्व वगताराम द्वारा समझाईश किए जाने बाबत इस गवाह ने कोई कथन नहीं किए हैं ।

36. अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहों के कथनों से यह तथ्य भी प्रकट नहीं होता है कि घटना के दिन या उससे तुरंत पूर्व मृतका को दहेज की मांग को लेकर तंग व परेशान किया हो एवं उससे मृतका ने आत्महत्या की हो ।

37. पत्रावली पर जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है उससे यह तथ्य भी प्रकट नहीं होता है कि जिस दिन मृतका ने आत्महत्या की उससे पूर्व किसी समय मृतका को दहेज के लिए तंग व परेशान किया गया हो और उस कारण से मृतका ने आत्महत्या की हो । मृतका की मृत्यु होने के तथ्य पर कोई विवाद नहीं है । मृत्यु होने के तथ्य की संपुष्टि फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श पी 01, फर्द सूरतहाल लाश प्रदर्श पी 02, फर्द सुपुर्दगीनामा लाश प्रदर्श पी 03 व शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 16 से होती है ।

38. मृतका की मृत्यु का कारण शव परीक्षण के समय स्पष्ट नहीं होने से मृतका के विसराज हिस्टोपैथोलोजी जाँच हेतु भेजे गए थे तथा मृत्यु के संबंध में राय हिस्टोपैथोलोजी रिपोर्ट के बाद दिया जाना बताया था । पत्रावली पर हिस्टोपैथोलोजी रिपोर्ट प्रदर्श 19 के अवलोकन से मृतका के लिए गए नमूनों में Organophosphorous insecticide का विद्यमान होना पाया है एवं इस कारण से मृत्यु होने का तथ्य साबित होता है जो मृत्यु प्राकृतिक नहीं होकर आत्महत्या थी ।

39. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 में तथा गवाहों के कथनों में मृतका को दहेज में क्या मांग की गई इस संबंध में भी कोई विशिष्ट कथन नहीं किए गए हैं, केवल मात्र दहेज कम लाने को लेकर मारपीट करने एवं ताने देने के अस्पष्ट कथन किए हैं । घटना दिनांक 09.09.2018 की बताई है एवं उससे पूर्व मृतका को दहेज हेतु तंग व परेशान किया गया हो व उसे आत्महत्या किए जाने हेतु विवश किए जाने की परिस्थियाँ पैदा की हो ऐसी भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है ।

40. पीडब्ल्यू 07 गंगा जो कि मृतका की पुत्री है, के कथनों से यह तथ्य भी प्रकट होता है कि घटना के समय अभियुक्त घर पर नहीं होकर बालोतरा रैली में गया हुआ था । पीडब्ल्यू 11 पूर्ण, मृतका के पुत्र ने भी घटना के दो दिन पूर्व से ही अभियुक्त का बालोतरा गए हुए होना बताया है । घटना एवं कृत्य के मध्य कोई समीपता भी प्रकट नहीं होती है ।

41. धारा 498'ए' भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किए जाने हेतु अभियोजन के लिए इस तथ्य को साबित किया जाना आवश्यक है कि किसी स्त्री को उसके पति या नातेदार होते हुए उसके साथ क्रूरता की गई हो या जानबूझकर ऐसा आचरण किया गया हो जो उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता हो या उस

स्त्री के स्वास्थ्य को गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना हो या उस स्त्री को या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रताडित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना की उसका कोई नातेदार ऐसी कोई मांग पूरी करने में असफल रहा है ।

हस्तगत मामले में मृतका या उसके किसी रिश्तेदार से दहेज में क्या मांग की एवं कब–कब मांग करते हुए मृतका को तंग, परेशान किया गया इस संबंध में कोई स्पष्ट एवं संपुष्ट साक्ष्य नहीं है ।

धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किए जाने हेतु अभियोजन के लिए यह तथ्य साबित करना आवश्यक है कि उस व्यक्ति को जिसके द्वारा आत्महत्या की गई है, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया हो एवं दुष्प्रेरणा के परिणामस्वरुप आत्महत्या की हो । दुष्प्रेरणा को धारा 107 भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित किया गया है जिसको मैं यहाँ उद्धत करना उचित समझता हूँ जो निम्न प्रकार है :–

वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो –

पहला – उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है ; अथवा

दूसरा – उस बात को करने के लिए किसी षड़यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड़यंत्र के अनुसरण में, और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए ; अथवा

तीसरा – उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है ।

उक्त धारा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी बात का दुष्प्रेरणा करना तब माना जाएगा जब वह व्यक्ति उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है अथवा उस बात को करने के लिए षड्यंत्र में शामिल हो और उस षड्यंत्र के अनुसरण में या उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए या उस बात के किए जाने मे किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है । हस्तगत मामले में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य साबित नहीं है कि अभियुक्त ने मृतका को आत्महत्या करने के लिए उकसाया हो या

किसी षड्यंत्र में शामिल हो या किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा आत्महत्या किए जाने में साशय सहायता की हो ।

धारा 306 भारतीय दंड संहिता के अपराध को साबित किए जाने हेतु इस तथ्य को साबित किया जाना आवश्यक है कि घटना के समय अभियुक्त ने ऐसा सकारात्मक कृत्य किया हो जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा हो । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजेश बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा में यह मत व्यक्त किया है, उक्त निर्णय का पैरा नंबर 08 सुसंगत है जो निम्न प्रकार हैः–

> 8. Conviction under Section 306 IPC is not sustainable on the allegation of harassment without there being any positive action proximate to the time of occurrence on the part of the accused, which led or compelled the person to commit suicide. In order to bring a case within the purview of Section 306 IPC, there must be a case of suicide and in the commission of the said offence, the person who is said to have abetted the commission of suicide must have played an active role by an act of instigation or by doing certain act to facilitate the commission of suicide. Therefore, the act of abetment by the person charged with the said offence must be proved and established by the prosecution before he could be convicted under Section 306 IPC. (See Amalendu Pal alias Jhantu v. State of West Bengal1).

42. अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है उसमें कोई विशिष्ट आरोप अभियुक्त के विरुद्ध नहीं बताते हुए सामान्य आरोप लगाए हैं तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट व न्यायालय में हुए बयानों में किसी भी गवाह ने घटना का कोई वर्ष, महीना या समय नहीं बताया है । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने श्रीमती मुमताज बनाम राजस्थान राज्य में यह मत व्यक्त किया है कि **"विवाह के बाद लंबा समय बीत जाने के बावजूद दहेज की मांग और उत्पीड़न की विशिष्ट तिथियों या घटनाओं का अभाव । अभियोजन पक्ष धारा 498(ए) के तहत दोषसिद्धि के लिए आवश्यक क्रूरता के विशिष्ट उदाहरणों को साबित करने में विफल रहा । विशिष्ट विवरणों के बिना विवाह के दस वर्षों के बाद दहेज के लिए नियमित उत्पीड़न के आरोप विश्वसनीय नहीं है ।"**

43. प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को अभियोजन की ओर से साक्ष्य में परीक्षित नहीं करवाया गया है । अनुसंधान अधिकारी प्रकरण में महत्वपूर्ण गवाह है एवं उसको

साक्ष्य में परीक्षित नहीं करवाने से उसके द्वारा किया गया अनुसंधान साबित नहीं है जो तथ्य अभियोजन मामले के लिए घातक है । इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भोपालसिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (उपरोक्त) के पैरा संख्या 09 में यह मत व्यक्त किया है किः–

> **18. Another important aspect is that the Investigating Officer in this case, has not been examined by the prosecution. This is really very unfortunate thing. The entire case was investigated by a Police Officer and he was not examined by the prosecution, which means that the documents prepared by the Investigating Officer, have not been proved. The report submitted by Chunilal, has also not been proved, though, Chunilal has admitted his signature on it. After all, the Investigating Officer is a very important witness, and if he is not examined and he does not prove his case, the entire case of the prosecution on this ground, fails on the ground. Had he been examined, there could be chances for the accused persons to show that the entire prosecution story was a connected one. He could be put to cross–examination, and so some material aspect could have come out from his cross examination. Therefore, non examination the Investigating Officer is fatal to the entire prosecution case which goes to its root.**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2012(3) क्रिमिनल कोर्ट केसेज 122 (राजस्थान) विजयकुमार रस्तोगी बनाम स्टेट ऑफ अदर्स में यह अभिमत व्यक्त किया है किः– **Sec. 306 Abetment to suicide– Instigation–Proof of — Held — in order to bring a case within the purview of S. 306 IPC there must be a case of suicide and in commission of said offence, person who is said to have abetted commission of suicide must have played an active role by an act of instigation or by doing certain act to facilitate commission of suicide.**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अन्य न्यायिक दृष्टांत 2013(3) सी जे (क्रि.) 1379 कानाराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में यह मत व्यक्त किया है कि केवल मृतक को परेशान करने का आरोप आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अवयवों

को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि अभियुक्त मृतक को आत्महत्या कारित करने के लिए उद्धत, प्रकोपित व प्रेरित न करे । यह भी अभिनिर्धारित किया है कि यह दर्शित करने के लिए कोई भी साक्ष्य विद्यमान नहीं कि अभियुक्त यह आशय रखता था कि मृतक आत्महत्या करे, अंतिम बार दिए गए भय एवं आत्महत्या के बीच शान्त होने हेतु पर्याप्त समय था । जिससे यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा ब्लेकमेल करने के कारण मृतक ने आत्महत्या की ।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक अन्य न्यायिक निर्णय 2013(2)सीजे (क्रिमिनल) (राज) –717 अरोमा एम फिलेमन(श्रीमती) बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में यह मत व्यक्त किया है कि अभियुक्त द्वारा किए गए कार्य तथा आत्महत्या के लिए उठाये गये कदम के मध्य प्रत्यक्ष संबंध या समीपता होनी चाहिए ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2010(1) सी जे (क्रि) (एस सी) 130 गंगुला मोहन रेडडी बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में यह अभिमत व्यक्त किया है कि **Sec 306– Abetment of suicide– Scope– held, there should be a clear mens rea to commit the offence– For establishment of offence, an active act or direct act which led the deceased to commit suuicide seeing no option and this act must have been intended to push the deceased into such a position that he committed suicide."**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2015(सप्लीमेंट्री) क्रिमिनल कोर्ट केसेज 209 राजस्थान खेताराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में यह अभिमत व्यक्त किया है कि ''**In order to convict a person u/s 306 IPC, there has to be clear men rea to commit the offence– It also requires an active or direct act which led the deceased to commit suicide seeing no option and that act must have been intended to push the deceased into such a position that he committed suicide."**

2011(2) क्रिमिनल कोर्ट केसेज 01 (एस सी) एम मोहन व अन्य बनाम स्टेट रिप्रजेन्टेड बाई दी डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट ऑफ पुलिस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि **In order to convict a person u/s 306IPC there has to be a clear men rea to commit the offence– It also requires an active act or direct act which led the deceased to commit**

suicide seeing no option and this must have been intended to push the deceased into such a position that he/she committed suicide.

44. साक्ष्य के उपरोक्त समग्र विवेचन व विश्लेषण के पश्चात् मेरा निष्कर्ष इस प्रकार है कि अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा श्रीमती लक्ष्मी उर्फ गट्टु को दहेज की मांग को लेकर क्रूरता पूर्वक व्यवहार कर तंग परेशान कर आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया हो जिसके परिणामस्वरुप श्रीमती लक्ष्मी उर्फ गट्टु ने आत्महत्या की हो, जिससे अभियुक्त संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने योग्य है ।

आदेश

45. परिणामतः अभियुक्त भैराराम को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 498(ए) व 306 भारतीय दंड संहिता के अपराधों से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है ।

46. इस न्यायालय में विचारण के दौरान उपस्थिति बाबत् अभियुक्त द्वारा पूर्व में पेश बंधपत्र व जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं ।

47. प्रकरण में जब्तशुदा आर्टिकल यदि कोई हो तो उन्हें नियमानुसार निस्तारित किया जावे ।

48. धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत, अभियुक्त इस निर्णय के विरुद्ध अपील होने की स्थिति में, अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने बाबत 10,000/– रुपये के जमानत मुचलका पेश किए जा चुके हैं ।

(एम.आर. सुथार)
सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

49. निर्णय आज दिनांक 26.05.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

(एम.आर. सुथार)
सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

I checked all the documents are right.
Digitally signed by GOVIND SHANKER KIRADOO
Location: Balotra
Date: 2026.06.01 12:32:35 +0530